


राजस्थानसरकार  
चिकित्सा एवंस्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 16(3)चिस्वा/2/2017

जयपुर,दिनांक: -21.01.19


संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.03.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए लेख है कि उक्त आदेश का लाभ वर्ष 2018-19 में पी.जी. में एडमिशन में प्राप्त होने वाले इनसेंटिव मार्क्स के साथ -साथ अग्रिम वर्षों में प्री पीजी में इनसेंटिव मार्क्स जोडकर लाभान्वित किया जायेगा।

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
2. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राज.।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राज.।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(ओ.पी. वर्मा)  
सहायक शासन सचिव